

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 27 जनवरी 2011—माघ 7, शक 1932

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 जनवरी, 2011

क्र. एफ-ए-3-34-2008-एक (1) 207.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-34-2008-एक (1)-1867, दिनांक 01 नवम्बर, 2009 एवं क्रमांक एफ-ए-3-34-2008-एक (1) 1039, दिनांक 26 मई, 2010 में अंशतः संशोधन करते हुये और मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन नियम) के नियम 4 के अनुसरण में, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित मंत्री के प्रभार में उनके नाम के सामने दिये गये विभाग और/या विभाग की कार्य सूची के विषय सौंपते हैं:—

स. क्र. (1)	मंत्री का नाम (2)	सौंपे गये विभाग और/या विभाग की कार्य-सूची के विषय (3)
1.	श्री नरोत्तम मिश्रा, मंत्री	संसदीय कार्य, विधि और विधायी कार्य, आवास और पर्यावरण (पर्यावरण को छोड़कर), लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी, 2011

क्र. एफ-ए-3-34-2008-एक (1) 208.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-34-2008-एक (1) 207, दिनांक 27 जनवरी, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

Bhopal, the 27th January 2011

No. F.A. 3-34-2008-one-(1) 207.—In partial modification of the department's Notification No. F. A. 3-34-2008-one(1)-1867, dated 1st November, 2009 and No. F. A. 3-34-2008-one(1)-1039, dated 26th May, 2010 and in pursuance of Rule 4 of the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, the Governor of Madhya Pradesh has been pleased to assign the charge to the following Minister, the Department(s) and/ or the item(s) of business in the department(s) shown against his name:—

S. No.	Name of Minister	Department(s) and/or item(s) of business in the department assigned
(1)	(2)	(3)
1.	Shri Narottam Mishra, Minister	Parliamentary Affairs, Law and Legislative Affairs, Housing and Environment (Except Environment), Public Health and Family Welfare.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AVANI VAISH, Chief Secy.